decision to award the same project to an Indian firm;

(b) if so, what are the reasons for reviewing the earlier decision; and

(c) whether the later decision is more beneficial for the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) No, Sir. However, a letter of intent has been given to an Indian company which has a participation from a US firm, for a pilot project in four secondary switching areas of Tamil Nadu.

(b) and (c) Does not arise in view of (a) above.

Modernisation of ACC Babcock

*18. DR. BAPU KALDATE:
SHRIMATI KAMLA SINGH:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Asea Brown Ltd. (ABB) proposes to make the country its export base for power plants by modernising ACC Babcock acquired by it from the BIFR;

(b) whether any formal request has been received by Government from ABB in this regard;

(c) if so, what is the decision taken by Government; and

(d) what are the implications involved in relation to the development of indigenous power equipment?

THE MINISTER OF POWER (SHRI N. K. P. SALVE): (a) to (c) The rehabilitation package of ACC Babcock Limited (ABL) based on the offer of investment of Asea Brown Boveri (ABB) which has been prepared by the Industrial development Bank of India (IDBI) envisages sales and services to utilities of Central and State Governments and Independent Power Producers and also as providing suitable opportunities for sourcing of components by ABB from ABL, resulting in exports. The proposal forwarded by IDBI, after some modification, is being supported by the Government of India and the matter is fixed for final hearing before BIFR on 1.3.1995.

(d) The Investment decision of ABB would assist the development of indigenous power equipment through the rehabilitation of ABL.

कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर केन्द्रों का कार्यकरण

*19. श्री आस मोहम्मद :
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम शक्ति वाले अधिकांश ट्रांसमीटर केन्द्र संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन केन्द्रों में अधिकांश उपकरण खराब पाये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन उपकरणों में खामियों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ;

(ङ) क्या सरकार उच्च शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर लगाने का विचार रखती है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) और (च) संसाधनों एवं आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करते हुए देश में 70 उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर परियोजनायें कार्यान्वयनाधीन स्थापित करने हेतु परिकल्पित हैं ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित समिति

*20. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सभी पहलुओं तथा बैंकों की भूमिका और कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा करने हेतु नियुक्त की गई समिति की रिपोर्ट मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने और इसमें सुधार के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए 29 सितम्बर, 1993 को एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी । समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दिनांक 1-11-1994 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को प्रस्तुत की थी और उसकी एक प्रति सरकार को उपलब्ध कराई गई है । अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशें संक्षिप्त रूप से संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) से संबंधित विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशें

परिसंपत्तियों को संभालने के मामले में अकुशल और बिना अनुभव वाले-गरीबों को एक समिति द्वारा अलग श्रेणी में विभक्त किया जाना चाहिए । इस समिति में ब्लाकों, पंचायतों, अग्रणी बैंकों के प्रतिनिधि, स्कूल के अध्यापक, पोस्ट मास्टर, विशिष्ट ग्रामीण व्यक्ति और आधार स्तरीय (ग्रास रूट) एनजीओ शामिल होने चाहिएं । ऐसे गरीब व्यक्तियों को प्रारम्भ में राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और जवाहर योजना के अंतर्गत मजदूरी के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए । उन्हें अधिक सामाजिक उपभोग व्यय के लिए प्रावधान करके भी सहायता प्रदान की जानी चाहिए । उन्हें आईआरडीपी के अंतर्गत इस शर्त के अधीन सहायता प्रदान की जानी चाहिए कि वे कौशल प्राप्त कर लेंगे या अपने कौशल में वृद्धि कर लेंगे । अन्य गरीब वर्ग अर्थात्, सर्वाधिक गरीब परिवारों को, जिनके पास युक्तिसंगत कौशल और अनुभव है, आईआरडीपी के अंतर्गत सीधे सहायता प्रदान की जा सकती है । रोजगार के क्षेत्र में अपेक्षाकृत नए प्रवेशकों को ट्राइसेम या अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण और उसके बाद आईआरडीपी के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जा सकती है ।

2. लीकेज और कदाचारों को समाप्त करने के लिए, समिति फ्रंट-एंड सब्सिडी प्रणाली के बदले बैक एंड सब्सिडी प्रणाली अपनाने की सिफारिश करती है । सब्सिडी का लाभ उन उधारकर्ताओं को भी उपलब्ध होना चाहिए, जो कार्यशील पूंजी वित्त लाभ करना चाहते हैं ।

3. वसूली को सुधारने के लिए, भारत सरकार सब्सिडी आबंटन का कुछ प्रतिशत भाग वसूली कार्यनिष्पादन से संबद्ध करने पर विचार कर सकती है । सरकारों द्वारा विशेष वसूली अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है । तलवार समिति की सिफारिश के अनुसार शेष राज्य सरकारों द्वारा नमूना बिल का अधिनियमन शीघ्र किया जाना चाहिए । ऋण माफिया की घोषणा नहीं की जानी